महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 15–09–2014 का कार्यवृत्त

परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 15–09–2014 को अपराह्न 06:00 बजे माननीय कुलपति जी अध्यक्षता में पंत प्रशासनिक भवन स्थित डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति कक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

1.	डॉ0 पृथ्वीश नाग, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो0 प्रभात कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष, मानविकी संकाय	–	सदस्य
3.	प्रो0 एस0एन0चतुर्वेदी, संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय	–	सदस्य
4.	प्रो0 लक्ष्मी दूबे, संकायाध्यक्ष, समाजकार्य संकाय।	–	सदस्य
5.	प्रो0 गोपाल प्रसाद नायक, संकायाध्यक्ष प्रतिनिधि, शिक्षाशास्त्र संकाय	–	सदस्य
6.	डॉ0 सुरेन्द्र बहादुर सिंह, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय	–	सदस्य
7.	डॉ0 आर0पी0सिंह, संकायाध्यक्ष, छात्रकल्याण संकाय	–	सदस्य
8.	डॉ0 काशीनाथ सिंह, अध्यक्ष, सम्बद्ध महाविद्यालय, अध्यापक संघ	–	विशेष आमंत्रित
9.	श्री ओम प्रकाश, कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक	–	सदस्य–सचिव

बैठक में अधोलिखित निर्णय लिए गए :–

कार्य सूची–01 (क). मा0 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में बी0एड0 सत्र 2013–14 की परीक्षा कराये जाने पर विचार।

अग्रेतर उल्लेखनीय है कि बी0एड0 परीक्षा सत्र 2013–14 की परीक्षाएं दिनांक 12–07–2014 से प्रस्तावित थी परन्तु इसी मध्य मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील नं0 5914/2011 में दिनांक 25 नवम्बर, 2013 को पारित आदेश जो निम्नवत् है, का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से उक्त परीक्षा स्थगित कर दी गयी –

We have not been granting any further relief to any party in case of admissions for the academic session 2013-2014 after 16th September, 2013. These interlocutory applications are also dismissed.

It will however, be open for the applicant to move the concerned Court including this Court for further relief for the academic session 2014-2015.

विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 12–07–2014 से आहूत होने वाली परीक्षाओं को स्थगित किये जाने के विरोध में शहीद कैप्टन विजय प्रताप सिंह महाविद्यालय आवाजापुर, सकलडीहा, चन्दौली के छात्र/छात्राओं द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका संख्या– 36072/2014 ज्योति मिश्रा व 06 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य दायर की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 28–07–2014 को निम्न आदेश पारित किया –

Pursuant to the above order, the University has filed a counter-affidavit. In the counter-affidavit, the University has pleaded that because of the time schedule prescibed by the Apex Court in the case of College of Professional Education (Supra), it is no possible for the University to take examination of the candidated who have been admitted beyond the prescribed time schedule. The University has also filed copy of an order dated 25th November, 2013 passed by the Apex Court in ***IA NOS. 109 and 110 of 2013***

in civil Appeal No. 5914 of 2011 (College of Professional Education and others v. State of U.P. and others, which reads as follows:-

> "We have not been granting any further relief to any pary in case of admission for the academic session 2013-14 after 16th September, 2013. These interlocutory applications are also dismissed.
>
> It will however, be open for the applicant to move the concerned Court including this Court for further relief for the academic session 2014-15."

In View of the above, no relief can be granted to the petitioners, who have all been admitted after 10th October, 2013. The writ petition is **dismissed**.

लोकनाथ महाविद्यालय रामगढ़, चन्दौली, माँ भवानी पी0जी0 कालेज सोगाई, चन्दौली, जय प्रकाश महाविद्यालय, उमरहां, वाराणसी एवं जटाधारी स्नातकोत्तर महाविद्यलाय, मारूफपुर, चन्दौली ने मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ में वाद दाखिल किया है। मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ ने वाद संख्या– 4280, 4281, 4899, 4892 /2014 में मा0 उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील नं0 5914/2011 के आदेश संज्ञान में लेते हुए अधोलिखित आदेश पारित किया है–

Consequently, respondent Universities are directed to permit all the students who have been admitted before 12.10.2013 to appear in the B.Ed. Examination commencing from 4/5 August, 2014 provisionally but their result will not be declared till further orders of this court.

कृषक पी0जी0 कालेज राजगढ़, मिर्जापुर तथा अध्यक्ष, महामंत्री स्ववित्तपोषी महाविद्यालय प्रबन्धन एसोसिएशन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ में वाद दाखिल किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ ने वाद संख्या 5032/2014, 5507/2014 में मा0 उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील नं0 5914/2011 के आदेश संज्ञान में लेते हुए अधोलिखित आदेश पारित किया है–

Writ Petition No. 4289 of 2914 (M/S). Operative portion of the order is being reproduced below-

"Consequently, respondent Universities are directed to permit all the students who have been admitted before 12.10.2013 to appear in the B.Ed. Examination commencing from 4/5 August, 2014 provisionally but their result will not be declared till further orders of this court.

List this petition after four weeks.

In the meantime, respondents may file counter-affidavit."

Respondents' counsel admit that petitioners' case is similarly situated as the students who have been admitted before 12-10-2013 are also entitled to the benefit of the order quoted above.

निर्णय :– **मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ द्वारा बी0एड0 सत्र 2013–14 की परीक्षा कराये जाने सम्बन्धी दिए गए आदेश के आलोक में निर्णय लिया गया कि दिनांक 12–10–2013 तक बी0एड0 2013–14 में प्रवेशित छात्रों की परीक्षा करा ली जाय। सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्धकों से इस आशय का शपथ पत्र लिया जाय कि दिनांक 12–10–2013 के पश्चात बी0एड0 2013–14 में प्रवेश नहीं लिया गया है। परीक्षाफल घोषित करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय/विधिक राय के आलोक में कार्यवाही की जाएगी।**

कार्य सूची–01 (ख). परीक्षा केन्द्र निर्धारण नियमावली का अनुमोदन तथा उसके आधार पर निर्धारित परीक्षा केन्द्र की सूची पर विचार।

वार्षिक / सेमेस्टर परीक्षा केन्द्र निर्धारण नियमावली

वार्षिक परीक्षा :–

I. संस्थागत वार्षिक परीक्षा में महिलाओं का केन्द्र निर्धारण शासनादेश के अनुसार होगा किन्तु व्यक्तिगत महिला परीक्षार्थियों पर यह प्राविधान लागू नहीं होगा।
II. राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में स्वकेन्द्र होगा किन्तु किसी विवाद अथवा अन्य कारणों से परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किया जा सकता है।
III. मिर्जापुर एवं सोनभद्र को छोड़कर अन्य जिलों में यथासम्भव संस्थागत परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र अधिकतम 10 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जायेगा।
IV. मिर्जापुर एवं सोनभद्र में यथासम्भव संस्थागत परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र अधिकतम 35 किलोमीटर की दूरी पर बनाये जायेगें।
V. स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को (महिला अभ्यर्थियों को छोड़कर) स्वकेन्द्र कदापि नहीं बनाया जायेगा।
VI. जिन महाविद्यालय पर सामूहिक नकल का आरोप सिद्ध होगा उस महाविद्यालय के सम्बन्ध में परीक्षा समिति का निर्णय प्रभावी होगा।
VII. अपरिहार्य स्थिति में परीक्षा की सुचिता के लिए केन्द्र निर्धारण का विशेषाधिकार विश्वविद्यालय का होगा।

सेमेस्टर परीक्षा :–

I. राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों का स्वकेन्द्र होगा।
II. सेमेस्टर परीक्षा में महिला एवं पुरूष परीक्षार्थियों की परीक्षा का केन्द्र विगत वर्षों की भाँति परिवर्तित होगा।
III. सेमेस्टर परीक्षा में महिला एवं पुरूष परीक्षार्थियों की परीक्षा यथासम्भव एक साथ होगी।
IV. संस्थागत परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र यथा सम्भव नजदीक के राजकीय / अनुदानित महाविद्यालय में बनाये जायेगें।
V. जिन महाविद्यालय पर सामूहिक नकल का आरोप सिद्ध होगा उस महाविद्यालय के सम्बन्ध में परीक्षा समिति का निर्णय प्रभावी होगा।
VI. अपरिहार्य स्थिति में परीक्षा की सुचिता के लिए केन्द्र निर्धारण का विशेषाधिकार विश्वविद्यालय का होगा।

निर्णयः– परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त परीक्षा केन्द्र निर्धारण नियमावली का अनुमोदन किया गया तथा नियमावली के अनुरूप बनाए गए बी0एड0–2014 के परीक्षा केन्द्र की सूची का अनुमोदन करते हुए विशेष स्थिति में परीक्षा केन्द्र में आवश्यक परिवर्तन हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

कार्य सूची–01 (ग). बी0एड0 परीक्षा 2013–14 की समय–सारिणी के अनुमोदन पर विचार। परीक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई समय–सारिणी संलग्न है।

निर्णय :– बी0एड0 परीक्षा 2013–14 दिनांक 22–09–2014 से दिनांक 01–10–2014 तक कराने के सम्बन्ध में बनाई गई समय–सारिणी का अनुमोदन किया गया। विशेष स्थिति में समय–सारिणी में परिवर्तन की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार :–

कार्य सूची–02 वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं हेतु प्राश्निकों/परीक्षकों की नियुक्ति किये जाने सम्बन्धी कैलेण्डर की स्वीकृति पर विचार।

वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं हेतु प्राश्निकों/परीक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी कैलेण्डर

I.	अध्ययन समिति की बैठक	– दिनांक 10 जुलाई से 14 अगस्त तक
II.	वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाओं प्राश्निकों/परीक्षकों की सूची परीक्षा गोपनीय विभाग को उपलब्ध कराया जाना	– दिनांक 31 अगस्त तक
III.	कुलपति जी के समक्ष प्राश्निकों/परीक्षकों की सूची प्रस्तुत करना	– दिनांक 10 सितम्बर से 15 सितम्बर तक
IV.	प्रथम/तृतीय/पंचम सेमेस्टर परीक्षाओं हेतु प्रायोगिक/मौखिक परीक्षकों की नियुक्ति	– दिनांक 30 नवम्बर तक
V.	द्वितीय/चतुर्थ/षष्ठ सेमेस्टर परीक्षाओं हेतु प्रायोगिक/मौखिक परीक्षकों की नियुक्ति	– दिनांक 30 अप्रैल तक
VI.	वार्षिक परीक्षा हेतु प्रायोगिक/मौखिक परीक्षकों की नियुक्ति	– दिनांक 31 जनवरी तक

निर्णय :– वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं हेतु प्राश्निकों/परीक्षकों की नियुक्ति किये जाने सम्बन्धी उक्त कैलेण्डर को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

कार्य सूची–03 मुख्य परिसर एवं एन0टी0पी0सी0 परिसर बी0एफ0ए0 चतुर्थ खण्ड के प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण किए जाने सम्बन्धी सुश्री रंजना यादव तथा अन्य छात्रों के शिकायती पत्र पर विचार।

अग्रेतर उल्लेखनीय है कि विद्यापीठ मुख्य परिसर तथा एन0टी0पी0सी0 परिसर के बी0एफ0ए0 चतुर्थ सेमेस्टर के सुश्री रंजना यादव तथा अन्य छात्र/छात्राओं ने दिनांक 01–09–2014 को प्रार्थना पत्र देकर विभागाध्यक्ष, ललित कला विभाग पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने दुर्भावना से ग्रसित होकर हम 21 विद्यार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र की लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिया। जबकि पूर्व की कक्षाओं में हम सभी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण है। उक्त शिकायती पत्र पर विभागाध्यक्ष की आख्या प्राप्त की गई।

विभागाध्यक्ष ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि – **"**उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षकों द्वारा पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ मूल्यांकित की गई है। छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई जा सकती है। छात्र नम्बर कम आने पर प्रायः दुर्भावना के आरोप लगाते रहते है। यदि कॉपी देखने पर कोई आपत्ति हो तो मुझे समाधान हेतु अवगत करायें।**"**

निर्णय :– बी0एफ0ए0 चतुर्थ खण्ड के छात्र/छात्राओं द्वारा दिए गए आवेदन पत्र एवं उसी पर विभागाध्यक्ष से प्राप्त आख्या पर विचार कर मा0 कुलपति जी को किसी विषय विशेषज्ञ द्वारा उक्त उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कराने हेतु अधिकृत किया गया।

कार्य सूची–04 वार्षिक परीक्षा 2013–14 के ऐसे परीक्षार्थी जो महाविद्यालय एवं विश्वविद्याय में दो बार अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात भी मौखिक/प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, उनके आवेदन पत्रों पर विचार।

निर्णय :– समिति ने निर्णय लिया कि रू.2000/–(रूपये दो हजार) शुल्क जमा करा कर अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए छूटे परीक्षार्थियों की मौखिक/प्रायोगिक परीक्षा करा ली जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में मात्र दो बार ही मौखिक/प्रायोगिक परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाय।

कार्य सूची–05 स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के ऐसे व्यक्तिगत परीक्षार्थी जो विश्वविद्यालय द्वारा करायी गयी मौखिक/प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए है, उनके आवेदन पत्रों पर विचार।

निर्णय :– स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के ऐसे व्यक्तिगत परीक्षार्थी जिनकी मौखिक/प्रायोगिक परीक्षा छूट गई है, उनके सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि रू. 2000/–(रूपये दो हजार) शुल्क जमा करा कर अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए परीक्षा करा ली जाय।

कार्य सूची–06 श्री विशाल पाण्डेय व अन्य ऐसे परीक्षार्थी जो 2012–13 स्नातकोत्तर प्रथम खण्ड उत्तीर्ण हैं किन्तु 2013–14 में बी0एड0 करने अथवा अन्य कारणों से परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए। सत्र 2014–15 में स्नातकोत्तर द्वितीय खण्ड में प्रवेश लेकर परीक्षा में सम्मिलित होने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार।

अग्रेतर उल्लेखनीय है कि श्री विशाल पाण्डेय व अन्य ऐसे छात्र जो वर्ष–2013 में स्नातकोत्तर प्रथम खण्ड उत्तीर्ण करने के पश्चात सत्र 2013–14 में बी0एड0 में प्रवेश ले लिए तथा अपना प्रव्रजन प्रमाण पत्र भी विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लिए थे तथा कुछ छात्र अस्वस्थ होने के कारण वर्ष–2014 में स्नातकोत्तर द्वितीय खण्ड की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके। ऐसे छात्र/छात्राओं द्वारा वर्ष–2015 की स्नातकोत्तर द्वितीय खण्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सत्र 2014–15 में प्रवेश लिए जाने की मांग की जा रही है।

निर्णय :– ऐसे परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में समिति ने निर्णय लिया कि चूँकि स्नातकोत्तर में सत्र 2013–14 से सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई है अतएव ऐसे परीक्षार्थी स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेकर अध्ययन कर सकते है।

कार्य सूची–07 विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली मौखिक/प्रायोगिक परीक्षाओं में वाह्य विशेषज्ञ नामित किए जाने के सम्बन्ध प्रो0 सत्येन्द्र नाथ चतुर्वेदी, संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर विचार।

प्रो0 एस0एन0 चतुर्वेदी द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के छात्रों की छूटी हुई प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा जो विश्वविद्यालय केन्द्र पर आयोजित की गई थी। उसमें मात्र विभागाध्यक्ष द्वारा

ही उक्त परीक्षा सम्पन्न कराई जा रही थी। एक ही व्यक्ति द्वारा वाह्य एवं आन्तरिक परीक्षक दोनों ही भूमिकाओं का निर्वहन किया जाना उचित नहीं है।

निर्णय :– इस बिन्दु पर विचार कर समिति ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में होने वाली मौखिक/प्रायोगिक परीक्षाओं में स्थानीय वाह्य परीक्षक नियुक्त किए जाय। विभागाध्यक्ष आन्तरिक परीक्षक होंगे।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त हुई।

ह0
परीक्षा नियंत्रक

ह0
कुलपति

पत्रांक : प0गो0/10843/परीक्षा समिति/2014 तद् दिनांक : 30–09–2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. माननीय कुलपति जी।
2. परीक्षा समिति के सदस्यगण।
3. वित्त अधिकारी।
4. कुलसचिव।
5. उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य/अनुचित साधन प्रकोष्ठ। ।
6. सहायक कुलसचिव– सम्बद्धता विभाग।
7. अधीक्षक–परीक्षा सामान्य/परीक्षा गोपनीय/समिति अनुभाग।
8. प्रभारी, संगणक केन्द्र को इस आशय से कि विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर सम्बन्धित सूचना को जन साधारण के सूचनार्थ अपलोड कर दें।

ह0
परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव